

“बिजनेस पोस्ट” के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद धुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक अं. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



संजीवन क्रमांक

“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 फरवरी 2012—माघ 14, शक 1933

विधि और त्रिधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2012

क्रमांक 868/डी. 24/21-अ/प्रा./छ. ग./12.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18-01-2012 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरघाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 6 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन)
अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) में और संशोधन हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रांभ.
1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलायेगा.
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- अनुसूची का संशोधन.
2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की अनुसूची में, सरल क्रमांक 4 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जायें, अर्थात् :-

स. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की प्रक्रिया	मुख्य परिसर (मुख्यालय)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	आई.टी.एम. विश्व-विद्यालय	आई.टी.एम. सोसायटी, रायपुर	फर्म्स एवं सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक- 2755 छ.ग. राज्य दिनांक 13-08-2003	प.ह.नं. 137 ग्राम-उपरवारा तह.-अभनपुर जिला-रायपुर पिन-493661	छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> ● कम्प्युटर साईंस ● इनफॉर्मेशन टेक्नालॉजी ● बायो-टेक्नालॉजी ● बायो-इंफॉर्मेटिक्स ● कला ● विज्ञान ● वाणिज्य ● इंजीनियरिंग ● माइक्रोबायआलॉजी ● नैनोटेक्नालॉजी ● फार्मसी ● बीमा ● शारीरिक शिक्षा ● व्यवसाय प्रबंधन ● ह्यूमैनिटीज ● विधि ● शिक्षा विज्ञान ● स्वास्थ्य विज्ञान ● हॉटल मैनेजमेंट ● फैशन डिजाइनिंग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						<ul style="list-style-type: none"> ● पत्रकारिता एवं जनसंचार ● प्रबंधन प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम. फिल., पीएच.डी. तथा अन्य अनुसंधान पाठ्यक्रम."

रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2012

क्रमांक 868/डी. 24/21-अ/प्रा./छ. ग./12.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 6 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 6 of 2012)

THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND
OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2011

An Act further to amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2011.
- (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Short title, extent
and commencement.

Amendment
Schedule.

of 2.

In the schedule of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment And Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), after serial number (4), the following serial number and entries relating thereto, shall be added, namely :—

S. No.	Name of the Private University	Name of the Sponsoring body	Procedure of establishment of Sponsoring body	Main campus (Head Office)	Jurisdiction	Teaching Programmes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	ITM University	ITM Society Raipur	Firms and Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration No. 2955 CG State dated 13-08-2003	P.H.No.-137, Village- Uparwara, Tehsil- Abhanpur, District- Raipur, Pin- 493661	Chhattisgarh	Under Graduate, Post Graduate and their integrated courses and M.Phil., Ph.D. and other Research courses in- <ul style="list-style-type: none"> • Computer Science. • Information Technology, • Bio-Technology, • Bio-Informatics. • Arts, • Science, • Commerce, • Engineering, • Microbiology, • Nano-technology. • Pharmacy, • Insurance, • Physical Education, • Business Management, • Humanities, • Law, • Education Science, • Health Sciences, • Hotel Management, • Fashion Designing, • Journalism and Mass Communication, • Management Technology subjects."